भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3559
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

3559. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को लागू किए गए बाढ़ प्रभावित जिलों का आंध्र प्रदेश के बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा और कुल संख्या क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में , विशेष रूप से बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, जिले-वार तरीके से मनरेगा के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा और कुल संख्या क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत आवंटित , जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने बार-बार खराब मौसम/प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले स्थानों पर रहने वाले लाभार्थियों के लिए कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि की है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) (ख) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है , जिसमें प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान है।

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(4) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार ने एक वित्त वर्ष में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों , जहां सूखा अथवा किसी प्राकृतिक आपदा को अधिसूचित किया गया है , में जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार देने का निर्णय लिया है। सूखा या प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करने की अधिसूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से जारी की जाती है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में , कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा और राजस्थान सहित कई राज्यों में सूखा या प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं।

सूखा और प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों का ब्यौरा , जहां पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 (12.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार दिया गया है, निम्नानुसार है:

सूखा और प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों का ब्यौरा , जहां पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (12.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों से अधिक 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार दिया गया था						
वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य	कर्नाटक	कर्नाटक	कर्नाटक	_	_	
	केरल		राजस्थान			केरल
	मणिपुर					
	ओडिशा					
	राजस्थान					

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से कोई निधि आबंटन/जारी नहीं की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा कामगारों के बैंक खातों में डीबीटी मोड में जारी किया जाता है, सामग्री और प्रशासनिक घटक के मामले में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निधि जारी करती है , जो आगे जिलों को निधियां जारी करती हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (11.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिकता के लिए 7,315.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

*****